(ङ) नागालैंड की सरकार छिपे नागाओं की गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ कारगर उपाय बरत रही है और कानून को मानने वाले नागरिकों को पूरा समर्थन दे रही है। सभी प्रशासनिक केन्द्रों के पास अब अपने-अपने क्षेत्रों की रक्षा करने के लिये पर्याप्त सुरक्षा और/अथवा पुलिस बल है। नागालैंड की सरकार उन छिपे-नागाओं को फिर से बसाने के उपायों पर विचार कर रही है जो गैर-कानूनी गतिविधियां छोड़कर शांतिपूर्वक कोई काम-धन्धा करना चाहें।

Retirement age in Army

*235. SHRI B. K. DASCHOWDHUY: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that owing to a large-scale expansion since 1962, certain anomalies in the application of tenure rules had occurred and those have been examined; and

(b) whether Government propose to consider or have considered the raise in retirement age for the army officials in the near future ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under consideration.

वैमानिकी समिति का प्रतिवेदन

*236. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना के वर्तमान उपकरणों को बदलने के लिये वैमानिकी समिति ने विमानों की नवीनतम टैक्नोलौजी पर बल दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय वायु सेना द्वारा प्राप्त किए गए एस० यू०—7 तथा मिग-21 इन्टरसैप्टर जैसे नये विमान अब लगभग पुराने पड़ गए हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मिग-21 विमान केवल बड़ी ऊंचाई पर इन्टरसैप्ट करने के लिए अच्छे हैं ;

(घ) क्या अग्रेतर यह भी सच है कि एच० एफ-24 विमान प्रतिरक्षा कार्यों के लिए अनुपयुक्त हैं ;

(ङ) यदि उपरोक्त भागों (क) से (घ) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार उक्त विमानों के निर्माण को अधिक लागत वाला कार्य समझती है ; और

(च) यदि हां, तो क्या 'स्विग-विग' किस्म के बहु-प्रयोजनीय लड़ाकू विमानों के निर्माण तथा खरीदने का सरकार का विचार है क्योंकि वे शत्रु के विमानों को रोकने, प्रहार करने तथा गश्त लगाने के लिए उपयोगी हो सकते हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (च). एरौनाटिक्स कमेटी की सिफारिशों का एक संक्षिप्त विवरण 15-5-1969 को लोक सभा के पटल पर रखा गया था। एरौनाटिक्स कमेटी ने एच०एफ०-24 और मिग-21 विमानों के संशोधित संस्करणों के निर्माण की सिफारिश की है। सेवा में विमानों के संशोधित संस्करणों का विकास और विकास की सम्पूर्ति पर उनका निर्माण एक साधारण लक्षण हैं। एच० एफ०-24 समेत भारतीय वायु सेना के लिये प्राप्त किए गए विमानों की नई किस्में पुरानी नहीं हुईं, और उन्हें सौंपे गये कृत्यों के लिये वह उपयुक्त है। उच्च तकनीक के विमानों की निर्माण लागतें बहुत भारी हैं, परन्तु वह रक्षा आवश्यकताएं न्याय हैं। ऐरौनाटिक्स कमेटी का निर्धारण है कि स्विंग-विंग किस्म के दो विमानों का निर्माण कई वर्षों तक भारत में अपने उद्योग की शक्यता से बाहर की बात होगी।